Colour Television

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment/ Schedule No. & Date	Reference IS/ IEC Standards
Colour Television	14 (b)	S.O.1896(E) dated 26th May, 2016	IEC 62087:2008 & IEC 62301:2011 With all amendments
	14(a)	S.O.1897(E) dated 26th May, 2016	
	Amendment I	S.O. 4066(E)dated 26th December 2017	
	14(d)	No.BEE/S&L/CTV/02/2016-17 dated 26th May, 2016	

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938
No. 1310] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

का.आ. 1896(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कलर टेलिविजन के 1920 x 1080 पिक्सल तक मूल विभेदन, तरल कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी), क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) सहित वोल्ड कैथोड फ्लोरसेंस लैम्प बैकलाइट और लाइट एमिटिंग डायोड बैकलाइट सहित तथा प्लाज्मा प्रौद्योगिकी प्रकार, कंप्यूटरों जिसमें प्राथमिक तौर पर टेरेस्ट्रियल, केबल, सेटलाइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन या एनालॉग या डिजिटल सिगनल के अन्य संप्रेषण सहित ट्यूनर और रिसीवर और एक घर में इनकेस डिस्प्ले से ऑडियो विजुअल सिगनल प्राप्त और डिस्प्ले करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किए गए कम्प्यूटरों के अलावा विनिर्दिष्ट करती है और निदेश देती है कि ऐसे अन्य उपकरण या ब्रिक्री के लिए विनिर्मित किए जा रहे या बेचे या खरीदे या आयात किए जा रहे उपकरणों के वर्ग पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट विधि द्वारा लेबलों पर उक्त विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।

[सं. 13/12/2014-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

S.O. 1896(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the colour television with native resolution upto 1920 x 1080 pixels of cathode ray tube (CRT), liquid crystal display (LCD) with cold cathode fluorescent lamp backlight and with light emitting diode backlight, and plasma technologies type, excluding computer monitors designed primarily for the display and reception of audiovisual signals from terrestrial, cable, satellite, Internet Protocol Television or other transmission of analog and digital signals, consisting of a tuner and receiver and a display encased in a single housing for the purposes of the said Act and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display such particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Colour Televisions) Regulation, 2016.

[No. 13/12/2014-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

का.आ. 1897(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार लेबल युक्त कलर टेलीविजन के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :—

(1) भारत में विनिर्मित वाणिज्यिक तौर पर खरीदे अथवा बेचे जा रहे कंप्यूटर मॉनीटरों को छोड़कर, 1920 x 1080 पिक्सल सहज रिज़ॉल्यूशन, कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी), शीतल कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप बैकलाइट वाला लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और प्लाज़्मा तकनीकों के टाइप वाला और प्रकाश उत्सर्जक डायोड बैकलाइट वाली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला प्रत्येक रंगीन टेलीविज़न :—

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएं) आदेश, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2357 (असा.), तारीख 07 सितम्बर, 2012 के क्रमांक 3 में उल्लेखित रंगीन टेलीविजनों की सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए भारतीय मानक आईएस 616:2010 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अनुपालन मानक पूरा करेगा, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया :

(ख) निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट रंगीन टेलीविजन की स्टैंडबाई विद्युत खपत अपेक्षाओं को पूरा करेगा, अर्थात् :-

सारणी 1.0 : स्टैंडबाइ बिजली की खपत आवश्यकताएं

(i)	कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी)	≤ 1.0 वॉट
(ii)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प बैकलाइट; प्लाज्मा प्रौद्योगिकियों के प्रकार	≤ 0.8 वॉट और
(iii)	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ प्रकाश उत्सर्जन डायोड बैकलाइट	≤ 0.6 वॉट

(ग) मूल प्रदीप्ति, क्योंकि भेजा गया पिक्चर मोड (होम मोड) पूर्वनिर्धारित चयन योग्य सर्वाधिक द्युति पिक्चर (फैक्टरी अथवा रिटेल पिक्चर मोड) में सर्वाधिक प्रदीप्ति के पैंसठ प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर होगी।

(2) इस मानक के अधीन आनेवाले रंगीन टेलीविजनों में निम्नलिखित परिभाषाएं होंगी:

(क) एक्टिव मोड : ऐसा उत्पाद, जहां विद्युत की खपत करने वाला उत्पाद विद्युत के मुख्य स्रोत से जुड़ा हो और कम से कम एक प्रमुख प्रकार्य सक्रिय है।

(ख) एनालॉग टीवी : टेलीविजन सेटों राष्ट्रीय टेलीविजन मानक समिति (एनटीएससी), फेज अल्टर्नेटिंग लाइन (पीएएल) या सिक्वेंशियल कलर विथ मैमोरी (एसईसीएएम) ट्यूनर की व्यवस्था वाले टेलीविजन सैट और इनमें एनालॉग वीडियो आदान (उदाहरण के लिए, कंपोजिट वीडियो, घटक वीडियो, एस- वीडियो, आरजीबी) हो सकते हैं।

(ग) स्वत: द्युति नियंत्रण (एबीसी): एक ऐसी एकीकृत प्रणाली जो आसपास प्रकाश की स्थितियों के आधार पर टेलीविजन की द्युति को स्वयं समायोजित करती है और स्वचालित द्युति नियंत्रण सक्षम सुविधा युक्त टेलीविजन में परिवेश में निम्न प्रकाश होने की प्रतिक्रिया में इसके स्क्रीन की प्रदीप्ति स्वत: कम हो जाती है और सही प्रकार से कार्यान्वित किए जाने पर इससे बिजली की खपत में कमी और देखने की गुणवत्ता में सुधार, दोनों हो सकते हैं।

(घ) रंगीन टेलीविजन (टीवी) : वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मुख्य रूप से डिस्प्ले या प्रत्यक्ष दर्शन और स्थलीय, केबल, सैटेलाइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी) या एनालॉग के अन्य पारेषण और डिजिटल संकेतों से दृश्य-श्रृव्य संकेत प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जिसमें सिंगल हाउसिंग में समाहित ट्यूनर या रिसीवर और डिस्प्ले होते हैं और इस उपकरण में कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी), लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) के साथ कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप (सीसीएफएल) बैकलाइट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) के साथ लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) बैकलाइट और प्लाज़्मा तकनीकों के टाइप वाले रंगीन टेलीविज़न आते हैं जिसमें टीवी संयोजन इकाई और एनालॉग टीवी शामिल हैं।

(ड.) डिजिटल टीवी : डिजिटल टीवी में कम से कम एक डिजिटल ट्यूनर अथवा कम से कम एक डिजिटल वीडियो इनपुट (उदाहरण के लिए एचडीएमआई) शामिल होते हैं। एनालॉग ट्यूनर और एनालॉग और डिजिटल, दोनों आदानों वाले उत्पादों को डिजिटल उत्पाद माना जाना चाहिए।

(च) डिस्कनेक्ट : ऐसी स्थिति जिसमें उत्पाद द्वारा प्रयुक्त बिजली के मुख्य स्रोत से जुड़े सभी कनेक्शन हटा अथवा बाधित कर दिए गए हों और यह निम्न विद्युत मोड में नहीं हो।

(छ) बाहरी बिजली की आपूर्ति : विद्युत आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए एक ऐसा लचीला तार जो उपसाधन से जुड़ा हो और टेलीविजन में विद्युत की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए लाईन वोल्टेज एसी इनपुट को मूल स्रोत से निम्न डीसी वोल्टेज(जों) में रूपांतरित करने के लिए बनाया जाता है।

(ज) प्रदीप्ति : किसी दिशा में प्रसारित प्रकाश की प्रति इकाई क्षेत्र प्रदीप्ति की गहनता संबंधी प्रकाश की माप, प्रदीप्ति प्रकाश के उस परिमाण को वर्णित करता है जो किसी विशेष क्षेत्र से होकर गुजरता है अथवा उत्सर्जित होता है और किसी एक ठोस कोण में गिरता है और प्रदीप्ति की मानक इकाई कैंडेला प्रति वर्ग मीटर (सीडी /मीटर^2) है।

(झ) सहज रिज़ॉल्यूशन: - इसे स्क्रीन के वास्तविक आकार- पिक्सल में मापित के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं

(ञ) अतिरिक्त बिजली मोड : कोई भी उत्पाद मोड जिसमें का ऊर्जा की खपत करनेवाला उत्पाद विद्युत के मुख्य स्रोत से जुड़ा होता है और निम्नलिखित एक या अधिक उपयोगकर्ता उन्मुखी अथवा सुरक्षात्मक प्रकार्य करता हो जो आमतौर पर निम्न के लिए होता है

(i) रिमोट स्विच (रिमोट नियंत्रण सहित), आंतरिक सेंसर, टाइमर द्वारा अन्य विधियों (सक्रियण या सक्रिय मोड को निष्क्रिय करने सहित) का सक्रियण आसान होता है;

(ii) सतत प्रकार्य: घडियों सहित सूचना अथवा स्थिति को दर्शाना;

(iii) सतत कार्य: सेंसर – आधारित प्रकार्य

(ट) टीवी संयोजन इकाई : ऐसा सिस्टम जिसमें टेलीविजन और अतिरिक्त उपसाधन (नों) अर्थात् डिजिटल वीडियों डिस्क

(डीवीडी) प्लेयर, हार्ड डिस्क ड्राईव (एचडीडी), वीडियों कैसेट रिकार्डर (वीसीआर) आदि) को एक इकाई में जोडा जाता है; अतिरिक्त उपसाधन, टेलीविजन के आवरण में अंतर्निर्मित होते हैं और टेलीविजन के आवरण को हटाए बिना दो (या अधिक) घटकों की अलग-अलग विद्युत जरूरतों का मापन करना संभव नहीं है; पूरा सिस्टम एक विद्युत केबल की भित्ति निर्गम मार्ग से जुड़ा होता है।

(3) कलर टेलीविजन पर लगाए जाने वाले लेबल पर एक स्टार के अंतराल सहित अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित किए जाएंगे और कलर टेलीविजन को उनकी सापेक्ष वार्षिक ऊर्जा खपत के आधार पर स्टार एक से स्टार पांच तक रेट किया जाएगा।

(4) वार्षिक ऊर्जा खपत (एईसी) जो ऊर्जा लेबल पर प्रदर्शित की जाती है निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त की जा सकती है, अर्थात् :-

AEC = (6 x Pa + 12 x Ps) x 0.365 कि. वॉ. घं. / वर्ष;

जहां :

Pa = 6 घंटे के एक दैनिक उपयोग के पैटर्न पर वॉट में 'ऑन मोड' बिजली की खपत

Ps = 12 घंटे के एक दैनिक उपयोग के पैटर्न पर वॉट में 'स्टैंडबाइ मोड' बिजली की खपत

कि. वॉ. घं. / वर्ष = किलो वॉट घंटे प्रति वर्ष

2. स्टार रेटिंग या स्टार स्तर की योजना (1) कलर टेलीविजन के स्टार स्तर को किलोवाट घण्टा (कि.वा.घं.) प्रति वर्ष में वार्षिक ऊर्जा खपत (ई) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसे विनिर्माण के वर्ष या वाणिज्यिक खरीद या बिक्री पर निर्भर करते हुए 2.1 में निर्दिष्ट रूप में समीकरण में वर्ग सें. मी. में स्क्रीन का साइज डालकर प्राप्त किया जाएगा।

सारणी 2.1 :

(अधिसूचना की तारीख से 31 दिसंबर 2017 तक विधिमान्य)

स्टार लेवल	पैराग्राफ 1 (1) (ख) (i) में निर्दिष्ट कैथोड रे ट्यूब (सी आर टी) टेलीविजन के लिए स्टार रेटिंग सूत्र	पैराग्राफ 1 (1) (ख) (ii) में निर्दिष्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) टेलीविजन के साथ कोल्ड कैथोड फ्लोरसेंट (सीसीएफएल) बैकलाइट और प्लाज्मा टेलीविजन के लिए स्टार रेटिंग सूत्र	पैराग्राफ 1 (1) (ख) (iii) में निर्दिष्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) टेलीविजन के साथ लाइट उत्सर्जन डियोड बैकलाइट के लिए स्टार रेटिंग सूत्र
1 स्टार	(0.081 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.090 x A) + 4.38	(0.054 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.060 x A) + 3.50	(0.027 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.030 x A) + 2.63
2 स्टार	(0.073 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.081 x A) + 4.38	(0.049 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.054 x A) + 3.50	(0.024 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.027 x A) + 2.63
3 स्टार	(0.065 x A) + 4.38 ≤ AEC <(0.073 x A) + 4.38	(0.043 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.049 x A) + 3.50	(0.022 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.024 x A) + 2.63
4 स्टार	(0.057 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.065 x A) + 4.38	(0.038 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.043 x A) + 3.50	(0.019 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.022 x A) + 2.63
5 स्टार	AEC< (0.057 x A) + 4.38	AEC < (0.038 x A) + 3.50	AEC < (0.019 x A) + 2.63

(2) स्टार रेटिंग स्तर के लिए कोई ऋणात्मक सह्यता नहीं होगी तथा सभी परखे गए उपकरणों को प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम थ्रेश होल्ड पूरा करना होगा; और निम्नलिखित बिंदुओं को विनिर्माण सह्यता और अन्य भिन्नताओं को स्टार रेटिंग का निर्धारण करते समय विनिर्माता द्वारा विचार में लिया जाएगा, अर्थात् :

(i) वार्षिक ऊर्जा की खपत (किलोवॉट घंटा/वर्ष) के मूल्य पूर्णांकित कर दो महत्वपूर्ण अंकों तक दर्ज किए जाएंगे;

(ii) बिजली की खपत (वॉट) के मूल्य पूर्णांकित कर तीन महत्वपूर्ण अंकों तक दर्ज किए जाएंगे;

(iii) स्क्रीन के आकार का मूल्य (सेंटीमीटर) पूर्णांकित कर दो महत्वपूर्ण अंकों तक दर्ज किया जाएगा;

(iv) सभी मूल्यों को आईएस 2:1960, के अनुसार, पुन: पुष्टि 2000, संस्करण 2.3 से संबंधित उल्लेखनीय अंकों तक पूर्णांकित किया जाता है।

(3) स्टार स्तर योजना की प्रत्येक दो वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी।

3. परीक्षण और सह्यता- (1) रंगीन टेलीविजन के स्टार स्तर निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए सारणी 3.1 में निर्दिष्ट निम्नलिखित परीक्षण मानकों का उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी 3.1: परीक्षण मानक

परीक्षण पैरामीटर	परीक्षण मानक
स्टेंडबाय	आईईसी 62301, संस्करण 2.0: घरेलू विद्युत उपकरण- अतिरिक्त स्टेंडबाय बिजली का मापन
चालू मोड पर	आईईसी 62087, संस्करण 3.0: ऑडियो, वीडियो और संबंधित उपकरणों के लिए बिजली की खपत के मापन की विधियां
पिक्चर के स्तर में समायोजन	आईईसी 62087, संस्करण 3.0: ऑडियो, वीडियो और संबंधित उपकरणों के लिए बिजली की खपत के मापन की विधियां

2) (क) 'चालू मोड' और 'स्टैंडबाय मोड' में बिजली की खपत का मापन सारणी 3.1 में वर्णित मानकों के अनुसार किया जाएगा और इसे वॉट में व्यक्त किया जाएगा।

(ख) बिजली की खपत के मूल्य 'चालू मोड' के लिए पीए (वॉट में) और 'स्टैंडबाय मोड' के लिए पीएस (वॉट में) दर्शाए जाएंगे।

(ग) पीए और पीएस पर आधारित वार्षिक बिजली खपत, निर्धारित मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) 'चालू मोड' के लिए बिजली की खपत का मापन डिफाल्ट पिक्चर मोड (घरेलू मोड) में किया जाएगा। तथापि, यदि यह मोड उपलब्ध न हो, तो ऊर्जा खपत का मापन सबसे प्रदीप्त चयन योग्य पूर्व निर्धारित पिक्चर मोड के लिए किया जाएगा।

(4) 'चालू मोड' पर बिजली की खपत का मापन केवल एबीसी सेंसरों वाले टेलीविजनों के लिए स्वचालित द्युति नियंत्रण (एबीसी) कार्य को निष्क्रिय करने के बाद ही किया जाएगा।

(5) उप पैरा 1 में विनिर्दिष्ट टेलीविजन के मॉडलों का कार्य निष्पादन का निर्धारण करने के लिए मापन यंत्र की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी

(i) आईईसी 62301 संस्करण 2.0: घरेलू विद्युत उपकरण - अतिरिक्त बिजली का उत्पादन

(ii) धारा 5 – जनरल मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ आईईसी 62087 संस्करण 3.0: मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट फॉर द पावर कंजम्प्शन ऑफ ऑडियो, वीडियो एण्ड रिलेटेड इक्विपमेंट।

(6) 0.5 वॉट या उससे अधिक बिजली का मापन 95% कॉन्फिडेंस स्तर पर 2% से कम या उसके बराबर सापेक्ष अनिश्चितता के संदर्भ में किया जाएगा और 0.5 वॉट से कम बिजली की मापन 95% कॉन्फिडेंस स्तर पर 0.01 से कम या उसके बराबर अनिश्चितता के संदर्भ में किया जाएगा।

4. परीक्षण रिपोर्ट : प्रत्येक इकाई के परीक्षणों के परिणाम इस अधिसूचना के उपाबंध में दिए गए रूप में बताए जाएंगे।

[फा. सं. 13/12/2014 – ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

उपाबंध

परीक्षणों के परिणाम की रिपोर्टिंग के लिए प्ररूप

परीक्षण रिपोर्ट सं. : **तारीख :**

क. उत्पाद के विवरण

(i) ब्रांड :

(ii) प्रकार :

(iii) मॉडल का नाम : (यदि लागू हो)

(iv) मॉडल संख्या :

(v) रेटेड इनपुट वॉल्टेज या वॉल्टेज रैंज :

(vi) रेटेड स्क्रीन साइज :

(vii) रेटेड स्क्रीन एरिया :

(viii) रेटेड ऊर्जा खपत :

ख. परीक्षण सारांश

(i) लागू के रूप में प्रत्येक जांच प्रकार के लिए इस पेज की एक अलग प्रति पूर्ण करें

(ii) विनिर्माता / प्रयोगशाला का नाम और पता :

(iii) जांच रिपोर्ट सं. :

(iv) नमूने की रसीद की तारीख :

(v) जांच की तारीख :

(vi) परीक्षण कार्मिक का नाम :

(vii) आयोजित जांच की प्रकृति और जांच के विवरण :

(viii) सामान्य जांच स्थिति :

(ix) जांच मानक :

(x) ऊर्जा खपत जांच रिपोर्ट (जांच की प्रत्येक इकाई के लिए प्रस्तुत किया जाना है)

टीका-टिप्पणियां और परिणाम :

ग. ल्यूमिनेंस परीक्षण

जिस रूप में भेजा गया उसमें ल्यूमिनेंस (घरेलू दृश्य) विधि $एल_{होम}$ (सीडी / मीटर^2)	

IndiaCode

ब्राइटेस्ट पिक्चर में ल्यूमिनेंस (रिटेल / फैक्टरी) विधि एल$_{रिटेल}$ (सीडी / मीटर^2)	
ल्यूमिनेंस अनुपात (एल$_{होम}$ / एल$_{रिटेल}$)	

घ. स्टैंडबाय पावर मापन

I यंत्र / उपस्कर ब्यौरे

विनिर्माता का नाम	मॉडल / प्रकार	सीरियल नं. / आई डी	उत्पाद के विवरण :
रेटेड वॉल्टेज या वॉल्टेज रैंज	इनपुट करंट	रेटेड फ्रिक्वेंसी	रेटेड इनपुट पावर
उपस्कर का विन्यास : स्टैंडबाय पेसिव मोड			

II मापक उपस्कर

क्र. सं.	नामावली (मापक उपकरण के विवरण)	निर्माण	मॉडल	रिजोल्यूशन / एक्यूरेसी	अंशांकन विधिमान्यता की तारीख

III जांच प्रक्रिया

इस्तेमाल की गई माप पद्धति: खण्ड 5.3.1, आईईसी 62301, दूसरा संस्करण, संचित ऊर्जा दृष्टिकोण

ड. डायनेमिक विडियो सिगनल का उपयोग कर 'ऑन (एवरेज) मोड' पावर माप

I. यंत्र / उपस्कर ब्यौरे

विनिर्माता	मॉडल / प्रकार	सीरियल नं. / आई डी	विवरण : कलर टेलीविजन स्क्रीन साइज :
रेटेड वॉल्टेज	रेटेड इनपुट करंट	रेटेड फ्रिक्वेंसी	रेटेड इनपुट पावर
उपस्कर के विन्यास : 'ऑन (एवरेज) मोड' इनपुट टर्मिनल के प्रकार: एनालॉग टेरेस्ट्रियल / केबल टेलीविजन / डिजिटल टेरेस्ट्रियल / सैटेलाइट इनपुट / अन्य : ऑडियो टर्मिनल :			

IndiaCode

सेटेलाइट विशेषताएं : टर्न्ड ऑफ / लागू नहीं होता प्लग- इन मॉड्यूल : लागू नहीं होता / उपस्कर में शामिल अतिरिक्त कार्य : लागू नहीं होता / टर्न्ड ऑफ विशेष कार्य (यदि कोई हों) : बिजली बचत कार्य : लागू नहीं होता / निष्क्रिय कन्ट्रास्ट / ब्राइटनेस : फैक्टरी डिफ़ॉल्ट / स्टैंडर्ड मोड / को विनिर्माता / होम व्यूविंग मोड द्वारा परिभाषित किया गया सामान्य उपयोग। विडियो पहलू अनुपात : विडियो फॉर्मेट : आवाज का स्तर : स्पीकर टर्मिनल पर श्रव्य / 50मी वॉट

II. माप उपस्कर

क्र. सं.	नामावली (मापक उपस्कर के विवरण)	निर्माण	मॉडल	रिजोल्यूशन / एक्यूरेसी	अंशांकन विधिमान्यता की तारीख

III. जांच प्रक्रिया

इस्तेमाल की गई माप पद्धति: आईईसी 62087 संस्करण 3.0 का खंड 11.6, 'ऑन' (एवरेज) मोड परीक्षण गतिशील प्रसारण सामग्री वीडियो संकेत का उपयोग करना।'

च. कलर टीवी कंफिगरेशन :

इनपुट टर्मिनल :	
कंट्रास्ट / ब्राइटनेस :	
पावर बचत कार्य :	
साउंड लेवल :	
अवधि (डायनेमिक सिगनल) :	
परिकलित क्षेत्र (वर्ग सेमी)	

जांच / क्र. सं.	ऑन मोड में बिजली की खपत			स्टैंडबाय पावर खपत		
	नमूना 1	नमूना 2	नमूना 3	नमूना 1	नमूना 2	नमूना 3
जांच अवधि (मिनट में)						
संचित ऊर्जा (वॉ. घं.)						
पावर फैक्टर						
क्रेस्ट फैक्टर न्यूनतम						

IndiaCode

क्रेस्ट फैक्टर अधिकतम						
वॉल्टेज (वॉ. एसी)						
फ्रिक्वेंसी (हट्र्ज)						
टी एच डी (प्रतिशत)						
अनिश्चितता (प्रतिश्त)						
औसत पावर (वॉट)						
Pa	<तीन परिणामों का औसत>					
Ps				<तीन परिणामों का औसत>		

गणना :

वार्षिक ऊर्जा खपत (एईसी) = [(6 x Pa) + (12 X Ps)] x 0.365 कि. वॉ. घं. / वर्ष

टिप्पणी : क) इस रिपोर्ट का संबंध जांच परिणाम के स्तंभ में उल्लिखित पैरामीटर से है।

ख) रिपोर्ट में उल्लिखित पैरामीटर के परिणामों की घोषणा करते समय मापन में अनिश्चितता को ध्यान में रखा गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

S.O. 1897(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labeled colour televisions, namely :-

1. Every colour television with native resolution upto 1920 x 1080 pixels, of cathode ray tube (CRT), liquid crystal display (LCD) with cold cathode fluorescent lamp backlight, and plasma technologies type, and liquid crystal display with light emitting diode backlight, excluding computer monitors being manufactured, commercially purchased or sold in India shall -

(a) meet the compliance standards as specified in Indian Standard IS 616:2010 for safety requirements for the colour televisions mentioned in serial number 3 of the schedule to notification number S.O.2357 (E) dated the 7th September 2012 the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 published vide the Government of India in the Ministry of Communications and Information Technology;

(b) meet the standby power consumption requirements of colour television specified in the following Table , namely:-

Table 1.0: Standby power consumption requirements

(i)	cathode ray tube (CRT)	≤ 1.0 Watt;
(ii)	liquid crystal display with cold cathode fluorescent lamp backlight plasma technologies type	≤ 0.8 Watt; And
(iii)	liquid crystal display with light emitting diode backlight	≤ 0.6 Watt;

(c) Luminance in the default, as shipped picture mode (home mode) shall be greater than or equal to sixty five per cent. of the peak luminance in the brightest selectable preset picture mode (factory or retail picture mode).

2. The colour televisions covered under this standard shall have the following definitions :

(a) **Active mode:** A product where the energy using product is connected to a mains power source and at least one primary function is activated;

(b) **Analog TV**: The television sets having the provisions of National Television Standards Committee (NTSC), Phase Alternating Line (PAL), or Sequential colour with Memory (SECAM) tuner and may have analog video inputs (e.g., composite video, component video, S-video, RGB);

(c) **Automatic Brightness Control (ABC):** An integrated control system that automatically adjusts the brightness of a television based upon ambient lighting conditions and the television with automatic brightness control enabled feature will reduce its screen luminance automatically in response to lower ambient lighting conditions, and when implemented correctly, this can both reduce energy consumption and improve viewing quality;

(d) **Colour Television (TV):** A commercially available electronic appliance designed primarily for the display or direct view and reception of audio visual signals from terrestrial, cable, satellite, Internet Protocol TV (IPTV), or other transmission of analog and digital signals, consisting of a tuner or receiver and a display encased in a single housing; and the appliance covers colour television with Cathode Ray Tube (CRT), Liquid Crystal Display (LCD) with Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) backlight, Liquid Crystal Display (LCD) with Light Emitting Diode (LED) backlight and Plasma technologies type, which also includes TV combination unit and analog TV;

(e) **Digital TV:** Digital televisions include at least one digital tuner or at least one digital video input (e.g., High Definition Media Interface - HDMI). Products with an analog tuner and both analog and digital inputs should be considered digital products;

(f) **Disconnected:** The state where all connections to mains power source of energy using product are removed or interrupted and is not in low power mode;

(g) **External Power Supply:** A Flexible cord, for supply purposes that is fixed to the appliances and designed to convert line voltage AC input from the mains to lower DC voltage(s) for the purpose of powering the television;

(h) **Luminance:** The photometric measure of the luminous intensity per unit area of light travelling in a given direction where luminance describes the amount of light that passes through or is emitted from a particular area, and falls within a given solid angle and the standard unit for luminance is candela per square meter (cd/m^2);

(i) **Native Resolution:** It can be defined as the physical size of the screen - measured by the amount of pixels.

(j) **Standby Power Mode:** Any product modes where the energy using product is connected to a mains power source and offers one or more of the following user oriented or protective functions which usually persist -

(i). to facilitate the activation of other modes (including activation or deactivation of active mode) by remote switch (including remote control), internal sensor, timer;

(ii). Continuous function: information or status display including clocks;

(iii). Continuous function : sensor – based functions

(k) **TV Combination Unit:** A system in which the television and an additional device(s) (e.g., Digital Video Disc (DVD) player, Hard Disc Drive (HDD), Video Cassette Recorder (VCR), etc.) are combined into a single unit; the additional device(s) is inbuilt into the television casing and it is not possible to measure the power requirements of the two (or more) components separately without removal of the television casing; and the complete system is connected to the wall outlet with a single power cable;

(3) The label to be affixed to colour televisions shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the colour televisions shall be rated from star one to star five based on their relative annual energy consumption.

(4) The Annual Energy Consumption (AEC) that appear on energy label shall be obtained from the following equation, namely:-

AEC = (6 x Pa + 12 x Ps) x 0.365 kWh/annum;

Where;-

Pa = 'On Mode' power consumption in Watts on a daily usage pattern of 6 hours;

Ps = 'Standby Mode' power consumption in Watts on a daily usage pattern of 12 hours;

kWh/annum = kilo Watt hour per annum.

2. Star rating or star level plan. - (1) The star level of the colour televisions shall be determined on the basis of annual energy consumption (E) in kilo Watt hours(kWh) per annum, which shall be obtained by substituting screen size in square centimetre in equations as specified in following Table 2.1 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale.

Table 2.1:

(Valid from the date of notification to 31st December, 2017)

Star levels	Star Rating Equations for cathode ray tube (CRT) Televisions referred to paragraph 1(1)(b)(i)	Star Rating Equations for liquid crystal display (LCD) Televisions with cold cathode fluorescent tubes (CCFL) backlight and plasma television referred to paragraph 1(1)(b)(ii)	Star Rating Equations for liquid crystal display (LCD) Televisions with light emitting diode backlights referred to paragraph 1(1)(b)(iii)
1 Star	(0.081 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.090 x A) + 4.38	(0.054 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.060 x A) + 3.50	(0.027 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.030 x A) + 2.63
2 Star	(0.073 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.081 x A) + 4.38	(0.049 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.054 x A) + 3.50	(0.024 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.027 x A) + 2.63
3 Star	(0.065 x A) + 4.38 ≤ AEC <(0.073 x A) + 4.38	(0.043 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.049 x A) + 3.50	(0.022 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.024 x A) + 2.63
4 Star	(0.057 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.065 x A) + 4.38	(0.038 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.043 x A) + 3.50	(0.019 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.022 x A) + 2.63
5 Star	AEC< (0.057 x A) + 4.38	AEC < (0.038 x A) + 3.50	AEC < (0.019 x A) + 2.63

(2) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested equipments shall meet the minimum threshold for each star rating level; and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating, keeping in view the following points for rounding; namely:-

i. the values of annual energy consumption (kWh/annum), shall be rounded and recorded to two significant figures;

ii. the values of power consumption (W) shall be rounded and recorded to three significant figures;

iii. The values of screen size (centimetre) shall be rounded and recorded to two significant figures;

iv. all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per IS 2:1960, reaffirmed 2000, Edition 2.3.

(3) The star level plan shall be reviewed after every two years.

3. Testing and tolerance.-(1) For the purpose of determining the star level of a colour television, the following test standards specified in Table 3.1 shall be used, namely:-

Table 3.1: Testing Standards

Test Parameters	Test Standards
Standby	IEC 62301, Ed 2.0: Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power

On Mode	IEC 62087, Ed 3.0: Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment
Picture level adjustments	IEC 62087, Ed 3.0 Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment

(2) (a) The power consumption in 'on mode' and 'Standby' mode shall be measured as per the standards mentioned in the Table 3.1 and shall be expressed in Watts.

(b) The values of power consumption will be represented as Pa (in Watt) for 'on mode' and Ps (in Watt) for 'Standby mode'.

(c) Annual energy consumption calculated based on Pa and Ps, shall not be more than five per cent. of the rated value.

(3) Energy consumption for the 'on mode' power consumption shall be measured in the default picture mode (home viewing mode), however, if this mode is unavailable, energy consumption shall be measured for brightest selectable preset picture mode.

(4) 'On mode' power consumption shall be measured only after disabling Automated Brightness Control (ABC) function for televisions with ABC sensors.

(5) The measuring instruments to determine the performance of models of televisions specified in sub-paragraph (1) shall have the attributes as given in -

(i) IEC 62301 Edition 2.0: Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power;

(ii)Section 5 – General Method of Measurement of IEC 62087 Edition 3.0: Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment.

(6) Measurements of power of 0.5 Watt or greater shall be made with a relative uncertainty of less than or equal to 2 per cent. at the 95 per cent confidence level and the measurements of power of less than 0.5 Watt shall be made with an uncertainty of less than or equal to 0.01 W at the 95% confidence level.

4. Test report. The results of tests of each unit shall be reported as given in the Annexure of this notification.

[No. 13/12/2014-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Annexure

Form for reporting the results of tests

Test Report No:
Date:

A. Product Details.

(i) Brand:

(ii) Type:

(iii) Model name: (if applicable)

(iv) Model number:

(v) Rated input voltage or voltage range:

(vi) Rated Screen Size:

(vii) Rated Screen Area:

(viii) Rated Energy Consumption:

B. Test summary

(i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable

(ii) Manufacturer/ Laboratory Name & Address:

(iii) Test Report No.:

(iv) Date of Receipt of Sample:

(v) Date of test:

(vi) Name of Testing Personnel:

(vii) Nature of Test and Details of Test conducted:

(viii) General test condition:,

(ix) Test Standard:

(x) Energy Consumption Test Report(to be submitted for each unit tested):

Observations and Results:

C. Luminance Testing

Luminance in As-shipped (Home Viewing) Mode, L_{HOME} (cd/m^2)	
Luminance in Brightest Picture (Retail/Factory) Mode, L_{RETAIL} (cd/m^2)	
Luminance Ratio (L_{HOME} / L_{RETAIL})	

IndiaCode

D. Standby Power Measurement

1. Appliance/Equipment Details

Name of Manufacturer	Model/type	Sr. no./ID	Product Description:
Rated Voltage or voltage range	Input Current	Rated Frequency	Rated Input Power
Configuration of equipment : Standby passive mode			

II. Measuring Equipment

Sr.No.	Nomenclature (Description of the Measuring Equipment)	Make	Model	Resolution/Accuracy	Calibration validity Date

III. Test Procedure

Measurement method used : Clause 5.3.1, IEC 62301, 2nd Ed., Accumulated Energy Approach

E. 'On (Average) mode' Power Measurement using dynamic Video Signal

I. Appliance/Equipment Details

Manufacturer	Model/type	Sr. no./ID	Description: colour Television Screen Size:
Rated Voltage	Rated Input Current	Rated Frequency	Rated Input Power

Configuration of equipment : 'On(Average) mode'

Input Terminal type: Analogue Terrestrial/ Cable Television/ Digital terrestrial/ Satellite

Input/other:

Audio Terminal:

Satellite features: Turned off/ Not Applicable

Plug-in module: Not applicable / included in the equipment.

Additional functions : Not Applicable/ Turned -off

Special functions (if any):

Power saving functions : Not Applicable/ Inactive

Contrast/Brightness: Factory Default/Standard Mode/Normal use defined by manufacturer/ Home viewing mode.

Video Aspect Ratio:

Video Format :

Sound Level : Audible/50mW at the speaker terminal

IndiaCode

II. Measuring Equipment

Sr.no.	Nomenclature (Description of Measuring Equipment)	Make	Model	Resolution/Accuracy	Calibration valid Date

III. Test Procedure

Measurement method used: Section 11.6 of IEC 62087 Edition 3.0, ''On' (average) mode testing using dynamic broadcast-content video signal.'

F. Colour TV Configuration:

Input Terminal :	
Contrast/ Brightness:	
Power saving functions :	
Sound Level :	
Period (Dynamic signal):	
Calculated Area (sq. cm)	

Test/ Sr. No.	On Mode power consumption			Standby Power Consumption		
	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 1	Sample 2	Sample 3
Test period (in minutes)						
Accumulated Energy (Whr)						
Power Factor						
Crest Factor Min						
Crest Factor Max						
Voltage (V ac)						
Frequency (Hz)						
THD (%)						
Uncertainty (%)						
Average Power (W)						
Pa	<Average of three results>					
Ps				<Average of three results>		

IndiaCode

Calculations:

Annual Energy Consumption (AEC) = [(6 x Pa) + (12 X Ps)] x 0.365 kWh/year

Remarks: a) This report pertains to the parameter mentioned in the test results column.

b) Uncertainty in measurement has been taken into consideration while declaring the results of the parameter mentioned in the report.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3558] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2017/पौष 5, 1939
No. 3558] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2017/PAUSHA 5, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4066(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1897 (अ), तारीख 26 मई, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) इसके पैरा 1(1) के रूप में पैरा 1 संख्याकित किया जाएगा और अंक और शब्दों के स्थान पर "(2) इस मानक के अधीन आने वाले रंगीन टेलीविजनों में निम्नलिखित परिभाषाएं होंगी"; इस प्रकार संख्याकित उप-पैरा (1) के पश्चात् कोष्ठक, अंक और शब्द "(2) इस मानक के अधीन आने वाले रंगीन टेलीविजनों में निम्नलिखित परिभाषाएं होंगी" रखे जाएंगे;

(ख) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर योजना" से संबंधित पैरा 2 में -

(I) उप-पैरा (1) में निम्नलिखित के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(I) रंगीन टेलिविजन के स्टार स्तर किलोवाट घण्टा (केडब्ल्यूएच) प्रतिवर्ष में वार्षिक ऊर्जा खपत के आधार पर अवधारित किया जाएगा जिसे उत्पादन या वाणिज्यिक खरीद या बिक्री के वर्ष पर निर्भर करते

हुए निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट सूत्र में वर्ग से.मी. में स्क्रीन आकार (A) प्रतिस्थापित करते हुए लिया जाएगा

सारणी 2.1:

(26 मई, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक विधिमान्य)

स्टार लेवल	पैरा 1 (1) (ख) (i) से निर्दिष्ट कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी) टेलीविजन के लिए स्टार रेटिंग सूत्र	पैरा 1(1) (ख) (ii) से निर्दिष्ट लिक्विड क्रिस्टल प्रतिदर्श (एलसीडी) टेलीविजन के साथ कोल्ड कैथोड प्रतिदीप्ती ट्यूब (सीसीएफएल) बैकलाइट और प्लाज्मा टेलीविजन के लिए स्टार रेटिंग सूत्र	पैरा 1(1) (ख) (iii) से निर्दिष्ट लिक्विड क्रिस्टल प्रतिदर्श (एलसीडी) टेलीविजन के साथ लाइट उत्सर्जन डियोड बैकलाइट के लिए स्टार रेटिंग सूत्र
1 स्टार	(0.081 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.090 x A) + 4.38	(0.054 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.060 x A) + 3.50	(0.027 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.030 x A) + 2.63
2 स्टार	(0.073 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.081 x A) + 4.38	(0.049 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.054 x A) + 3.50	(0.024 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.027 x A) + 2.63
3 स्टार	(0.065 x A) + 4.38 ≤ AEC <(0.073 x A) + 4.38	(0.043 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.049 x A) + 3.50	(0.022 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.024 x A) + 2.63
4 स्टार	(0.057 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.065 x A) + 4.38	(0.038 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.043 x A) + 3.50	(0.019 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.022 x A) + 2.63
5 स्टार	AEC< (0.057 x A) + 4.38	AEC < (0.038 x A) + 3.50	AEC < (0.019 x A) + 2.63

सारणी 2.2:

(1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक वैध)

स्टार रेटिंग	1920/1080 तक के नियोजन के साथ टेलीविजन के लिए स्टार रेटिंग सूत्र
स्टार 1	(0.024 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.027 x A) + 2.63
स्टार 2	(0.022 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.024 x A) + 2.63
स्टार 3	(0.019 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.022 x A) + 2.63
स्टार 4	(0.016 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.019 x A) + 2.63
स्टार 5	AEC≤ (0.016 x A) + 2.63

"

(II). उप-पैरा (2) में निम्निलखित उप-पैरा रखा जाएगा अर्थात् :-

"(2) स्टार रेटिंग स्तर के लिए कोई ऋणात्मक सह्यता नहीं होगी तथा सभी परखे गए उपकरणों को प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम थ्रेशहोल्ड पूरा करना होगा; और निम्नलिखित बिंदुओं को विनिर्माण सह्यता और अन्य भिन्नताओं को स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माता द्वारा विचार में लिया जाएगा, अर्थात् :

(i) वार्षिक ऊर्जा की खपत (किलोवाट घंटा/वर्ष) के मूल्य पूर्णांकित कर 2 दशमलव अंकों तक दर्ज किए जाएंगे;

(ii) बिजली की खपत (वॉट) के मूल्य पूर्णांकित कर 3 दशमलव अंकों तक दर्ज किए जाएंगे;

(iii) स्क्रीन के आकार का मान (सेंटीमीटर) पूर्णांकित कर दो दशमलव अंकों तक दर्ज किया जाएगा;

(iv) सभी मूल्यों को आईएस 2:1960 के अनुसार, पुन: पुष्टि 2000, संस्करण 2.3 से संबंधित उल्लेखनीय अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा।

[फा.सं. 13/12/2014-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण:— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 1897 (अ) तारीख 26 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4066(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.1897 (E), dated the 26th May, 2016, namely:-

In the said notification,-

(a) Paragraph 1 shall be renumbered as paragraph 1(1) thereof and for the figure and words "2. colour televisions covered under this standard shall have the following definitions:" occurring after sub-paragraph (1) as so renumbered, the brackets, figure and words "(2) The colour televisions covered under this standard shall have the following definitions:" shall be substituted;

(b) in paragraph 2 relating to "Star rating or star level plan",

(I) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely:-

" (1) The star level of the colour televisions shall be determined on the basis of annual energy consumption (AEC) in kilo Watt hours(kWh) per annum, which shall be obtained by substituting screen size (A) in square centimetre in equations as specified in the following Tables depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale.

Table 2.1:

(Valid from 26th May, 2016 to 31st December, 2018)

Star levels	Star Rating Equations for cathode ray tube (CRT) Televisions referred to paragraph 1(1)(b)(i)	Star Rating Equations for liquid crystal display (LCD) Televisions with cold cathode fluorescent tubes (CCFL) backlight and plasma television referred to paragraph 1(1)(b)(ii)	Star Rating Equations for liquid crystal display (LCD) Televisions with light emitting diode backlights referred to paragraph 1(1)(b)(iii)
1 Star	(0.081 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.090 x A) + 4.38	(0.054 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.060 x A) + 3.50	(0.027 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.030 x A) + 2.63
2 Star	(0.073 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.081 x A) + 4.38	(0.049 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.054 x A) + 3.50	(0.024 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.027 x A) + 2.63
3 Star	(0.065 x A) + 4.38 ≤ AEC <(0.073 x A) + 4.38	(0.043 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.049 x A) + 3.50	(0.022 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.024 x A) + 2.63
4 Star	(0.057 x A) + 4.38 ≤ AEC < (0.065 x A) + 4.38	(0.038 x A) + 3.50 ≤ AEC < (0.043 x A) + 3.50	(0.019 x A) + 2.63 ≤ AEC < (0.022 x A) + 2.63
5 Star	AEC< (0.057 x A) + 4.38	AEC < (0.038 x A) + 3.50	AEC < (0.019 x A) + 2.63

Table 2.2:

(Valid from 1st January, 2019 to 31st December, 2020)

Star Rating	Star Rating Equations for Televisions with resolutions up to 1920/1080
Star 1	(0.024 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.027 x A) + 2.63
Star 2	(0.022 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.024 x A) + 2.63

IndiaCode

Star 3	(0.019 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.022 x A) + 2.63
Star 4	(0.016 x A) + 2.63 < AEC≤ (0.019 x A) + 2.63
Star 5	AEC≤ (0.016 x A) + 2.63.”;

”

(II) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested equipments shall meet the minimum threshold for each star rating level; and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating, keeping in view the following points for rounding; namely:-

(i) the values of annual energy consumption (kWh/annum), shall be rounded and recorded up to two decimal places;

(ii) the values of power consumption (W) shall be rounded and recorded up to three decimal places;

(iii) The values of screen size (centimetre) shall be rounded and recorded up to two decimal figures;

(iv) all the values shall be rounded off to respective figures, as per IS 2:1960, reaffirmed 2000, Edition 2.3.”.

[F. No. 13/12/2014-EC]
RAJ PAL, Economic Advisor.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section-3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 1897(E), dated the 26th May, 2016.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.26 22:29:35 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938
No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/ JYAISTHA 5 , 1938

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. ईईई/एस एण्ड एल/सीटीटी/02/ 2016-17.—कतिपय विनियमों अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 का प्रारूप जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) की आदेशानुसार अधिसूचना सं. ईईई/एस एण्ड एल/सीटीटी/02/2015-16 द्वारा तारीख 09 अक्तूबर, 2015 को प्रकाशित किए गए थे जिनमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप विनियमनों की प्रतियां जनता को 09 अक्तूबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमनों के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए।

और इस संबंध में प्राप्त सुझाव पर विचार किए गए ;

अत: उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (2) के खण्ड (ढ) और धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियमन बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा** :- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "कलर टेलीविजन" से अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपसाधन अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "लेबल" से कलर टेलीविजन पर लगाया गया या प्रदर्शित कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;

(ङ) "लेबल अवधि" से धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन तुलनात्मक ऊर्जा खपत की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि तुलनात्मक ऊर्जा खपत की विधिमान्यता की अवधि की अंतिम अवधि अधिसूचित नहीं की गई है, तो उस अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नए मूल्यों तक विधिमान्य मानी जाएगी;

(च) "मॉडल या मॉडलों का वर्ग" से किसी विशेष ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की रेंज अभिप्रेत है जिसके संबंध में जांच रिपोर्टों का एकल संवर्ग प्रयोज्य है और जहां प्रत्येक मॉडल के समान भौतिक लक्षण, वार्षिक विद्युत खपत, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों और निष्पादन लक्षण समान हैं;

(छ) "अनुज्ञाधारक" से ऐसे व्यक्ति या ऐसी अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल लगाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;

(ज) "स्टार रेटिंग या स्टार लेबल" से कलर टेलीविजन की तुलनात्मक विद्युत खपत को सूचित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक पर आधारित कलर टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;

(झ) किसी लेबल लगे कलर टेलीजिवन के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे कलर टेलीजिवन की बिक्री या वितरण करता है और जिसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और कलर टेलीजिवन पर लेबल लगाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञाधारक सम्मिलित हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

3. लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां। (1) प्रत्येक कलर टेलीजिवन पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात् :-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;

(ख) विनिर्माता या आयातक और ब्राण्ड का नाम;

(ग) सेंटीमीटर में स्क्रीन साइज;

(घ) विनिर्माण या आयात का मॉडल संख्या और वर्ष;

(ङ) उपकरण का प्रकार

(च) कि. वॉ. घण्टा. प्रति वर्ष में वार्षिक ऊर्जा की खपत

(छ) स्टार स्तर;

(ज) लेबल की अवधि; और

(झ) विशिष्ट श्रृंखला कोड;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय-सीमा (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरण वाला लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक कलर टेलीविजन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ से ही प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या बिक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि : -

(क) बिक्री के लिए रखे गए कलर टेलीविजन पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समक्रमण कर पुनरीक्षित स्टार स्तर और संशोधित लेबल अवधि भी प्रदर्शित करेंगे और कलर टेलीविजन का विनिर्माण वर्ष भी संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ संक्रमण में होगा और पूर्व ऊर्जा खपत मानकों के आधार पर कलर टेलीविजन का उत्पादन नहीं करेगा।

(ख) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह मास पूर्व नियोजित और निष्पादित किए जाएंगे।

5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति - (1) बिक्री स्थल पर प्रत्येक कलर टेलीविजन पर लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसे लेबल कलर टेलीविजन पर निम्नलिखित रीति में चिपकाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) या तो यह गैर चिपचिपे स्तर पॉप प्रकार या एक स्विंग टैग (टिकाऊ गत्ते) के रूप में यह सामने की ओर संलग्न किया जा सकता है;

(ख) पीछे की ओर लगाया हुआ स्व- आसंजक लेबल; और

(ग) कार्टन बॉक्स पर लगाया हुआ स्व- आसंजक लेबल।

(2) प्रदर्शित न किए गए कलर टेलीविजन के लिए, लेबल पेकिंग के बाहर लगाया जाए और जब इसे बिक्री के लिए रखा जाए तो यह लेबल इकाई के साथ लगाया जाए।

6. लेबल के प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कलर टेलीविजन पर कोई स्टार नहीं लगाया जाएगा।

(2) उप- विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, आवेदन प्रपत्र - I में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा;

परन्तु कलर टेलीविजन के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा;

(3) उप- विनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे –

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलैक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय दो हजार रुपए की आवेदन फीस;

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से।

परन्तु लघु उद्योग लेबल प्रतिभूति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगी-; और

(ग) प्ररूप-1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज ;

7. अनुज्ञा की मंजूरी - (1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररूप-2 या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में कलर टेलिविजन पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा।

IndiaCode

(2) ब्यूरो, प्ररूप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञाधारक का नाम रजिस्टर करेगा;

(3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जिस तक केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है;

(4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन छह मास के भीतर किंतु इस अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा। और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की फीस लगी होगी;

(5) विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को नवीकृत किया जाएगा, ऐसे मामले में अनुज्ञाधारक नया आवेदन करेगा;

(6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप-II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;

(7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से कलर टेलीविजन के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर प्रवृत्त हुआ है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) यदि कलर टेलीविजन के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार लेबल के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेनी होगी और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार लेबल के प्रवृत्त होने से छह मास पूर्व किया जाए।

8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञाधारक और व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) कलर टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कलर टेलीविजन के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;

(ख) यह लेबल कलर टेलीविजन के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;

(ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और कलर टेलीविजन पर चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि कलर टेलीविजन पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल हर समय बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;

(छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को प्राधिकृत वितरकों, डीजरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया करेगा;

(ज) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगे जिसे ब्यूरो, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की नियम पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल फीस- (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को कलर टेलीविजन पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए 10 रुपए का लेबल शुल्क भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी;

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपधारा 3 के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति शुल्क से प्रतिवर्ष दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत्त शोध्य रकम वसूल कर सकेगा। यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता तो ब्यूरो अनुज्ञाधारक को स्वीकृत सभी लेबल रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम व्यतिक्रम करने वाले के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय:- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के परन्तुक के अध्यधीन, अनुज्ञाधारक कलर टेलीविजन का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो या उसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, स्वप्रेरणा से या उसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि कलर टेलीविजन इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और यह कि वह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या विनिर्माता सुविधा से उसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा जैसे वह उचित समझे, भण्डारगृह या फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर पर सम्यक रूप से नमूने एकत्र करेगा;

(3) जहां उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो द्वारा जांच और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला की कलर टेलीविजन जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की गई हो और यदि जांच परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने असफल रहते हैं तो ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो पूर्वोक्त व्यय शिकायतकर्ता को प्रतिदाय करेगा और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय समपहृत कर लिए जाएंगे;

(4) जहां जांच के लिए कलर टेलीविजन के नमूने स्वप्रेरणा से परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहते हैं, अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त कलर टेलीविजन के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा;

(5) जहां, दूसरा परीक्षण असफल होता है, ब्यूरो,-

(क) प्ररूप 5 में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य के सभी नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को निदेश देगा कि अनुज्ञाधारक दो मास की अवधि के भीतर,

(i) कलर टेलीविजन के लेबल पर सही स्टार लेबल प्रदर्शित करेगा या परीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटियों और ख़ामियों को दूर करेगा;
(ii) ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
(iii) विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिदेश किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्र या इलेक्ट्रोनिक साधन अथवा जैसा उचित समझे किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा;

(ग) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरण को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक न्यायनिर्णयन कार्यवाही करने के लिए सूचित करेगा।

(6) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिन के भीतर,-

(क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निदेशों का अननुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा उस प्रभाव के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

(7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को उप विनियम-(6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में पारित आदेश की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और उक्त उप विनियम के खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेशों का प्रवर्तन करेगा;

(8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप विनियम (5) के अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन - में असफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को सूचना देते हुए -

(क) विनियम 7 के उप विनियम-(1) के अधीन अनुज्ञाधारक को मंजूर की गई अनुमति वापस ले लेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञाधारक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेजेगा।

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से जैसा उचित समझे, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिदेश प्रकाशित करेगा।

(घ) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरूद्ध आगे अधिनिर्णयन कार्यवाही आरंभ करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण .-

ब्यूरो विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा, यदि अनुज्ञाधारक —

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में असफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करता है।

प्ररूप I

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के अधीन कलर टेलीविजन पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन

महा निदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)चौथा तल, सेवा भवन,सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ अभिनाम के अधीन _____ _____ (कारबार का पूरा पता) कारबार करने के लिए कलर टेलीविजन का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, कलर टेलीविजन पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं।

2. विनिर्माणकारी सुविधा : उपरोक्त उपस्कर _____ (कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित है और _____ (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित है।

3. सूचना के ब्यौरे : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में विस्तृत सूचना उपाबध में दी गई है। फर्म का रजिस्ट्रार अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (लघु इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

(क) आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ दी गई सूचना की शुद्धता और अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूं/ देते हैं।

4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम _____ (उपस्कर का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्ष) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार क्वालिटी प्रणाली / अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। संगठन और / अथवा उपरोक्त उपकरण के संबंध में अनुज्ञप्ति /प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

मैंने / हमने, उपस्कर की क्वालिटी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ अथवा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा समक्रमणित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है।

स्वतंत्र प्रयोगशाला का ब्यौरा :

क) परीक्षण विवरण (परीक्षण प्रक्रिया/नाम/संख्या)

ख) प्रत्यायन की प्रास्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. मेरी/ हमारी जानकारी और प्राक्कलन के अनुसार, उक्त उपस्कर के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
..... से तक अंतिम वर्ष से तक चालू वर्ष (अनुमान)			

6. (क) मांग पत्र सं. _____ तारीख _____ / इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा दो हजार रुपए के आवेदन शुल्क और लागू सेवा कर _____ का संदाय कर दिया गया है।

(ख) मांग पत्र सं. _____ तारीख _____ इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा एक लाख / पच्चीस हज़ार रुपए की लेबल प्रतिभूति शुल्क का संदाय कर दिया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस रुपए प्रति लेबल के लेबलिंग शुल्क का संदाय करने को सहमत हूं/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण पर आक्षेप करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

IndiaCode

9. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख दिवस (वर्ष)

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध

(प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए)

जानकारी के ब्यौरे

1. उत्पाद/उपस्कर के विवरण

1.1 साधारण

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
स्क्रीन का साइज (सेंटीमीटर)	
स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटीमीटर)	
लुमिनेंस अनुपात	
ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल (हां / नहीं)	
वोल्टेज / वोल्टेज रेंज	
विनिर्माण का वर्ष	
भारतीय मानक ब्यूरों प्रमाणपत्र के ब्यौरे (यदि कोई हों) (लाइसेंस / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरे (लाइसेंस / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
ऊर्जा खपत (प्रति वर्ष कि. वॉ. घं.)	

1.2 तकनीकी ब्यौरे

क्र. सं.	मॉडल का नाम / संख्या	मापे गए मान				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		स्क्रीन का साइज (सें. मी.)	स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटी मीटर)	ऊर्जा खपत (कि. वॉ. घं. / वर्ष)	स्टार लेबल या मापित ऊर्जा दक्षता स्तर	स्क्रीन का साइज (सें. मी.)	स्क्रीन का क्षेत्रफल (या वर्ग सेंटी मीटर)	ऊर्जा खपत (कि. वॉ. घं. / वर्ष)	स्टार लेबल या मापित ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	

IndiaCode

फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरे	

4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

जांच प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थन दस्तावेज संग्लन करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

5. लेबल लगाने की जानकारी

प्रारंभ की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए अनुप्रयुक्त लेबलों का नाम पहले वर्ष के लिए – दूसरे वर्ष के लिए – तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद सीरिज सं.	 से..... तक _____

IndiaCode

6. संदाय के ब्यौरे

	कुल रकम	संदाय के ब्यौरे (डिमांड ड्राफ्ट के ब्यौरे/इलेक्ट्रॉनिक संदाय के ब्यौरे)
आवेदन शुल्क **प्रतिभूति शुल्क**		

तारीख

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
..... के लिए और उनकी ओर से
.....
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप II

[विनियम 7 के उपविनियम (1) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजनों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के तहत कलर टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुमति / अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली, तारीख:

सेवा में,

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजनों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस पत्र के साथ अनुबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करता है।

2. यह अनुमति निम्नलिखित के अध्यधीन है —

(क) कलर टेलीविजन के लेबल पर दर्शाया गया स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन कलर टेलीविजन के लिए अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त विनियमों में दिए गए निबंधनों व शर्तों को पूरा करता हो;

(ख) लेबल कलर टेलीविजन के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और कलर टेलीविजन पर चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि कलर टेलीविजन पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल दस रुपए फीस का संदाय करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल धारक उपस्कर के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से अगले माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी।

(छ) अनुज्ञाधारक कलर टेलीविजन के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है,जैसे और जब भी ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, भी प्रदान करेगा।

3. यह अनुमति से तक विधिमान्य होगी और विनिर्देशों के अनुसार इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञाधारक, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन से छोड़कर, कलर टेलीविजन को बाजार से नहीं हटाएगा।

4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार उपस्कर के लिए समनुदेशित की गई विशेष लेबल श्रृंखला कोड है और यह लेबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार दिखाई देनी चाहिए।

5. जहां ब्यूरो द्वारा पुनरावलोकन के अधीन स्टार स्तर योजना को उपांतरित किया गया है, कलर टेलीविजन का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित होगा:-

(क) यदि संशोधित स्टार स्तर के सामंजस्य में नया मॉडल शुरू किया जाता है, ऐसी अनुमति के लिए ब्यूरो के पास उस तारीख से छह माह अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;

(ख) जहां उपातंरित स्टार स्तर लागू करने के लिए विद्यमान मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास प्रारूप IV में घोषणा ही प्रस्तुत की जाएगी।

6.तारीखमास..... वर्ष को हस्ताक्षरित मुहरबंद और तारीखबद्ध

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

(प्ररूप 2 का पैरा 1 देखिए)

अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

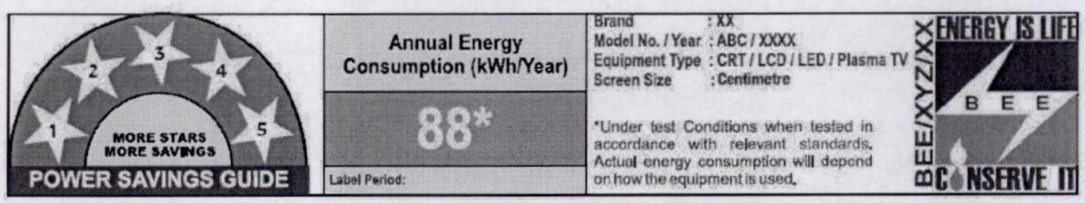
उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
स्क्रीन का साइज	
स्क्रीन का क्षेत्रफल	
वोल्टेज / वोल्टेज रेंज	
विनिर्माण का वर्ष	

क्र. सं.	मॉडल का नाम / संख्या	मापे गए मान				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		स्क्रीन का साइज (सें. मी.)	स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटी मीटर)	ऊर्जा खपत (कि. वॉ. घं. / वर्ष)	स्टार लेबल या मापित ऊर्जा दक्षता स्तर	स्क्रीन का साइज (सें. मी.)	स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटी मीटर)	ऊर्जा खपत (कि. वॉ. घं. / वर्ष)	स्टार लेबल या मापित ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम/संख्या	
स्टॉर लेबल	
स्क्रीन का साइज	
स्क्रीन का क्षेत्रफल	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा खपत (कि. वॉ. घं. प्रति वर्ष)	
लेबल की अवधि	

3. कलर टेलीविजन पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है।



पत्र में यूनिक लेबल श्रृंखला कोड दिया गया है जिसे कलर टेलीविजन पर लगाए गए लेबल पर उल्लेख किया गया है।

4. लेबल और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो लोगो की कलर स्कीम के लिए उपयोग की जाने वाली लेबल डिज़ाइन साइज कलर स्कीम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

IndiaCode

प्ररूप III

(विनियम 7 के उप विनियम (2) देखिए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञाधारकों का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपस्कर के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है	स्टार लेबल या घोषित दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल सीरिज	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति शुल्क की रकम	(क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त की गई लेबल प्रतिभूति शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क की रकम	(क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त आवेदन फीस की रकम के ब्यौरे
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए शोध्य और संदेय फीस के लेबलिंग की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस, ब्यौरे	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप IV

[विनियम 7 का उप विनियम (7) देखिए]

अनुज्ञाधारक द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाए।)

(निगमित निकाय / अनुज्ञाधारक के लेटर हैड पर)

तारीख:

सेवा में,
महा निदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 केसे प्रभावी स्टार लेबल में पुनरीक्षण के संबंध में लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

1. मैं/हम [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] के अभिनाम से [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में कारबार करने वाला/वाले कलर टेलीविजन का/के विनिर्माता / आयातक हूं / हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां) विनियम, 2016 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कलर टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जिसमें से प्रभावी स्टार लेबल में पुनरीक्षण होगा।

2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया गया है

3. नए स्टार लेबल का अनुपालन: मैं / हम सारणी के अनुसार सारणी परिवर्तन की पुष्टि करता हूं/करते हैं जैसा कलर टेलीविजन के लिए का.आ. संख्या तारीख में विनिर्दिष्ट है। उपरोक्त उपस्कर के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।

4. कलर टेलीविजन के संबंध में बीईई लेबल (स्टार लेबल परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है ।

5. स्टार लेबल के पुनरीक्षण के अनुसार उपस्कर/मॉडल का ब्यौरा ।

मॉडल का नाम -

विशिष्टियां	**घोषित मान**	
स्क्रीन का साइज (सेंटीमीटर)	--	
स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटीमीटर)	--	
वार्षिक बिजली खपत (कि. वॉ. घं. / वर्ष)	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेबल के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार लेबल के अनुसार)

6. मैं/हम अपने स्टार लेबल में मैनुअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वैब पोर्टल में [विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर] परिवर्तित करने को सहमत हूं/हैं।

7. मैंने/ हमने कथित कलर टेलीविजन मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग फीस जमा करा दिया है।

8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, तो उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।

9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

10. मैं/हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख:

दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप V

[विनियम 11 का उप- विनियम (5) देखिए]

अनुज्ञाधारक को दूसरे जांच परीक्षण में असफल रहने पर निदेश

सेवा में,

नई दिल्ली, तारीख:

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....के पत्र सं..... द्वारा कलर टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम के अधीन आपके प्राधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी सेरुपए की कीमत की तारीख..... की इनवॉयस संख्या द्वारा बीईई स्टार के लेबल वाला कलर टेलीविजन खरीदकर, ब्यूरो द्वारा उल्लिखित विनियम के विनियम 3 के अधीन लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए कलर टेलीविजन पर आपके द्वारा लगाया गया था, पर प्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए नियुक्त अभिकरण, मैसर्स..... द्वारा तारीख..... को नमूने के तौर पर उठवाया था। मैसर्स से श्रृंखला सं. मैसर्स का सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना, मैसर्स(वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुआ था।

3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूना मैसर्स....., राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला को का. आ. संख्या..... तारीख..... के पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, का. आ. संख्या..... तारीख..... के उपबंध में दिए गए प्ररूप..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।

4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले कलर टेलीविजन प्रति वर्ष विद्युत इकाइयों की खपत, मानक, विनिर्दिष्ट सकल परिमाण और भंडारण परिमाण आदि को पूरा नहीं करते और यह आपके द्वारा विनिर्मित/ आयातित कलर टेलीविजन के संबंध में लेबल लगाने के लिए मांगी गई अनुमति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच के ब्यौरे की पुष्टि नहीं करते। बीईई के तारीख..... के पत्र सं..... द्वारा जांच के परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में हिस्सा लें।

5. हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स द्वारा तारीख..... को दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स..... द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद कर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त कथित नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।

6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के रूप में आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का.आ. संख्या तारीख.... में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित/आयातित एवं बिक्री कलर टेलीविजन पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करते।

7. अत:, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन 2016 के विनियम 11 के उप विनियम (5) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो आपको निम्नलिखित का पालन करने का निदेश देता है:-

(i) कलर टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और

(iii) विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित किए गए विशिष्टियों में परिवर्तन करें।

8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के बाद 10 दिन के भीतर अर्थात् तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि कथित तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 11 के उप- विनियम (6) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) (6) (7) और (8) के निबंधनों के अनुसार, मामले में आगे और कार्रवाई करेगा।

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट

प्ररूप VI

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

(विनियम 11 के उप नियम (6) देखिए)

(संगठन के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में, तारीख:

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली – 110 066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो.(कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, हमें मैसर्स कलर टेलीविजन के विनिर्माता की ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप बीईई पत्र सं के लिए तारीख..... मॉडल संख्या द्वारा स्टार लेवल के कलर टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

विनियम, 2016 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) के नियमन 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसरण में, हम आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई पत्र संख्या तारीख..... द्वारा निदेश दिया गया। बीईई द्वारा जारी किए गए निदेश को ध्यान में रखते हुए, हम घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न कार्रवाईयां की गई हैं।

	निदेशित कार्रवाई	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ कलर टेलीविजन के स्तर पर प्रदर्शित सही स्टार लेबल	हां / नहीं / लागू नहीं होता	स्टार लेबल (तारीख) से प्रभावी स्टारसे स्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हां / नहीं / लागू नहीं होता	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे बदलें।	हां / नहीं / लागू नहीं होता	हां / नहीं / लागू नहीं होता

उपरोक्त घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कंपनी का नाम / फर्म आदि के लिए और उनकी ओर से
फर्म / कंपनी की मुहर।

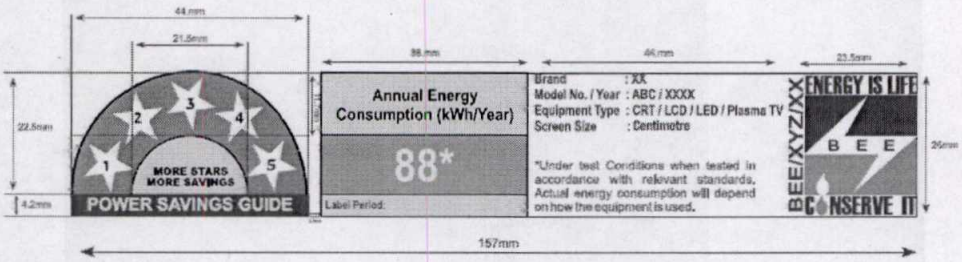
अनुसूची

[विनियम 3 के उप नियम (2) देखिए)]

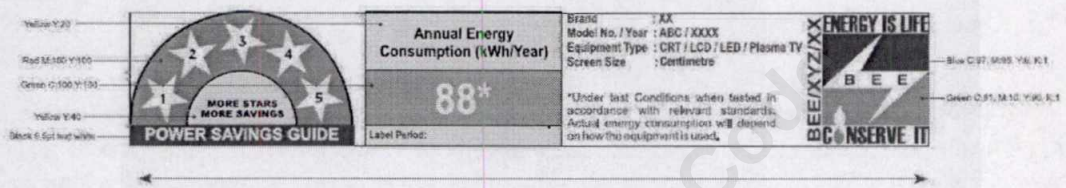
कलर टेलीविजन के लेबलों पर प्रदर्शित की गई विशिष्टियां

(1) लेबल डिजाइन

(i) आयाम :



(ii) कलर स्कीम :



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लोगो की कलर स्कीम :

नीला –

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S):64% ब्राइटनेस(B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) :28, क्रोमेटिक पुर्जे -a:24 b:54

लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1%

वेब कलर कोड - #363797

हरा -

ह्यू (H)- 150° सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जे -a: 53 b:32

लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

(2) **लेबल सामग्री**

लेबल, टिकाऊ गत्ते का होगा, यदि यह एक स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जा रहा है, या स्वयं लगाने वाला हो सकता है और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई रूपरेखा में से एक को काटा जाएगा।"

बी. पी. पाण्डेय, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./113]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016.

No. BEE/S&L/CTV/02/2016-17.- Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Colour Televisions) Regulations, 2015, were published vide notification number BEE/S&L/CTV/02/2015-16, dated the 9th October, 2015, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 9th October, 2015;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Colour Televisions) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001) ;

(b) "colour television" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these regulations;

(d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, colour television;

(e) "label period" means the validity period of the annual energy consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the annual energy consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

(f) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics;

(g) "permitee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(h) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the colour television based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the annual energy performance of colour televisions;

(i) "trader or seller" in relation to any labelled colour television means a person who sells or distributes any such colour television and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such colour television.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every colour television, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
(b) name of manufacturer or importer and brand;
(c) screen size in centimeter;
(d) model number and year of manufacturing or import;
(e) equipment type;
(f) annual electricity consumption in kWh per year;
(g) star level;
(h) label period; and
(i) unique series code.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.-(1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every colour television within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that-

(a) the colour television put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the colour television shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the colour television with the previous energy consumption standards;

(b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.-(1) On every colour television, shall be displayed label at the point of sale and such label shall be affixed on the colour television in the following manner, namely:-

(a) either non-sticky level pop type or it may be attached as a swing tag (Durable cardboard) on the front side;

(b) self –adhesive label affixed on the back side; and

(c) self –adhesive label affixed on the carton box.

(2) For colour televisions not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.

6. Permission for display of label.-(1) No star label shall be affixed on a colour television without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application shall be made in Form-I and in electronic form:

Provided that separate application shall be made for each model of colour television.

(3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –

(a) an application fee of two thousand rupees, payable by demand draft in favour of Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any acceptable electronic mode of payment;

(c) a label security fee of one lakh rupees, payable by demand draft in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; or by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, label security fee shall be only twenty-five thousand rupees; and

(c) documents specified in Form 1.

7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as/are specified in regulation 8, permission for affixing label on colour television in Form II or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) An application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

IndiaCode

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7)The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the colour television from the date from which the revised star level comes into force, shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the colour television is planned to be launched to synchronize with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. – Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

(a) the star level displayed on the label of colour television shall conform to energy consumption standards for colour television notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act ;

(b) the label shall be affixed only on such model of colour television for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the colour television at the cost of the permittee:

(d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of colour television shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

(g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;

(h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee.-(1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of ten rupees for each label affixed on the colour television.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security deposit.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture colour television.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the colour television conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail oulet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the colour television in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge

testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of colour television used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of colour television used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permitte in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months ,-

(i) correct the star level displayed on the label of the colour television or remove the defects and deficiencies found during testing;
(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-

(a) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.-The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee –

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

FORM I

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on colour television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector – 1, R.K.Puram
New Delhi-110 066
India.

I/ We are the manufacturers or importers of colour televisions carrying out business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on colour televisions as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory).

3. Details of Information : The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised Person: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the notification on _____(title of the notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at NABL accredited laboratory _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Independent Laboratory details:

a) Test details(Test procedures/name/number)
b) Accreditation status:
c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____ Current year from _____ to_____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees and paid by Demand Draft No. _____ dated _____ / electronic mode.

(b) A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees _____ has been paid by Demand Draft No. _____ dated_____ /electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labelling fee of ten rupees per label as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this day of (Year)

Yours faithfully,

Signature
Name
Designation
For and on behalf of

(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

Annexure
[See para 3 of Form 1]
Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Luminance Ratio
Automatic Brightness Control (Yes/No)
Voltage / Voltage Range
Year of manufacturing
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the License / Certificate)

Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate)
Energy Consumption (kWh per Year)

1.2 Technical details

Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Screen Size (cm)	Screen Area (sq. cm.)	Energy consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level measured	Screen Size (cm)	Screen Area (sq. cm.)	Energy consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

IndiaCode

5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	**From** _____ **To** _____

6. Payment details

	Total Amount	**Details of Payment (Demand Draft details / electronic payment details)**
Application Fee **Security Fee**		

Date

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM
.....

FORM II

[See sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission / Renewal of Permission to affix label on colour television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016

New Delhi, dated the.....

To

.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016, the Bureau hereby permits you to affix label on the colour televisions as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

(a) the star level displayed on the label of the colour television shall conform to energy consumption standards for colour television notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

(b) the label shall be affixed only on such model of colour television for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the colour television at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the colour television shall be maintained at all time ;

(e) the permittee shall pay the label fee of ten rupees per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;

(g) the permittee shall make available such other details of colour television as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid for from to and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the colour television from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is..... and should appear on the label as per the approved design.

5. where the star level plan is on review is modified by the Central Government, the star level of the colour television shall stand modified as follows:-

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Annexure
[See para 1 of Form II]
Details of Approvals

1. Details of the Equipment

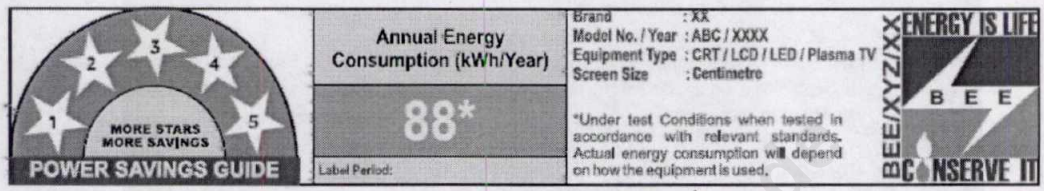
Equipment and Type	
Brand	
Model Name / Number	
Screen Size	
Screen Area	
Voltage / Voltage Range	
Year of manufacturing	

Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Screen Size (cm)	Screen Area (sq. cm)	Energy consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level measured	Screen Size (cm)	Screen Area (sq. cm)	Energy consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Star level	
Screen size	
Screen Area	
Year of manufacturing	
Energy Consumption (kWh per year)	
Label Period	

3. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the colour television is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the colour television.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

FORM III
[See sub-regulation (2) of regulation 7]
Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Application Fee, Details of Amount received (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee due and payable to BEE for each financial year	Labelling fee,details received for each financial year (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model
(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:

To
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of colour television carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on colour television as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Television) Regulations, 2016 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level:I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O.numberdated.....or colour television. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the colour television is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	**Declared Values**	
Screen Size (centimeter)	--	
Screen Area (square centimeter)	--	
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said colour television model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)
Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
.....
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

FORM V

[See sub-regulation (5) of regulation 11]
Direction to Permittee on failure of Second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....
.....
.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions**) Regulations, 2016 you were permitted to affix label on the colour television vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations 2016, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled colour television from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample dated.....by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased colour television. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number-------- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3 and 4 of S.O. numberdated..... for giving Test Report in accordance with the Form..... given in Annexure to S.O. number

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled colour television failed to meet the energy consumption standard, specified standby mode power, on mode power etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form I annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the colour television manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No...dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The Sample for second check verification Test were picked up on dated (DD/MM/YYYY) the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test reports are also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated....and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the colour television manufactured and sold in the market.

7. In exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016, you are hereby directed to comply with the following:

(i) correct the star level displayed on the label of the colour television or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. byIn case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5), (6), (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:
1. Test reports of the failed model

Form VI

Action Taken Report

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To Dated.....

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016, we M/s.....the manufacturer of colour televisions were permitted to affix label on the colour television conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Colour Televisions) Regulations, 2016, we were given directions vide Bureau of

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797
GREEN –
Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".

B.P. PANDEY, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./113]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri. New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.